देगी और उक्त समाचार में उल्लिखित दो स्वयंसेवी संस्थाओं के सुझावों के अनुसार कदम उठाएगी ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) :

(क) जी हां ।

(ख) सभी राज्य औषध नियंत्रकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है कि अस्पतालों उपचर्यागृहों, चिकित्सकों द्वारा डिस्पोजेबल सिरिंजों तथा सुईयों को प्रयोग के बाद प्रभावकारी ढंग से नष्ट करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए गए हैं । इसके अतिरिक्त सभी लाइसेंस धारियों को इनके पुनः प्रयोग अथवा इन वस्तुओं के बारम्बार प्रयोग को रोकने के लिए एक लेबल छापना पड़ता है कि "एक बार प्रयोग करने के बाद नष्ट कर दिया जाए" ।

सरकार ने (1) डिस्पोजेबल हाइपोडर्मिक सिरिन्जों, (2) डिस्पोजेबल हाइपोडर्मिक सुईयों और (3) डिसस्पोजेबल परफ्यूजन सैटों को 17-3-89 से औषध एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के अधीन औषधों के रूप में पहले ही अधिसूचित कर दिया है ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

Grievances of CGHS Drug Suppliers Association

5662: SHRI P. UPENDRA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether there is a dispute between the Central Government Health Scheme Drug Suppliers Association and the Ministry of Health and Family Welfare regarding purchase of several life saving drugs: and

(b) if so, what action has been taken by Government to settle the dispute ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. C. SILVERA): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

दिल्ली में "एड्स" और "कैंसर' से पीड़ित रोगी

5663. **प्रो० विजय कुमार मलहोत्रा :** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में कैंसर और "एड्स" रोगियों की संख्या के संबंध में कोई सूचना एकत्रित की है ;

(ख) यदि हां, तो मार्च, 1994 तक "कैंसर" और "एड्स" रोगियों की अलग-अलग संख्या कितनी है ;

(ग) क्या दिल्ली में इन रोगों के इलाज के लिए सरकार द्वारा कोई व्यवस्था भी की गयी है –

(घ) यदि हां, तो इन रोगों से पीड़ित व्यक्तियों के लिए आरक्षित बिस्तरों वाले अस्पतालों के नाम क्या-क्या हैं और प्रत्येक अस्पताल में इस तरह के कितने-कितने बिस्तर आरक्षित हैं ; और

(ङ) क्या दिल्ली में ऐसे भी अस्पताल हैं जहां केवल इन रोगों से पीडित रोगियों का ही इलाज किया जाता है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सी० सिल्वेरा) : (क) और (ख) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अधीन दिल्ली को कैंसर रजिस्ट्री ने 1989 में कैंसर के 6205 रोगियों को दर्ज किया । 31-3-94 तक दिल्ली में सूचित किए गए एड्स के रोगियों की सं० 48 थी ।

(ग) से (ङ) दिल्ली में, कैंसर के निदान और उपचार की व्यापक सुविधायें कई संस्थाओं में उपलब्ध हैं । जहां तक एड्स का संबंध है, एडस के कारण होने वाले अन्य सभी रोगों के लिए सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क उपचार उपलब्ध है ।